झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग राँची ।

पुनरीक्षितवाद / अपीलवाद संख्या...04....... वर्ष 20..23..

विविधवाद / प्रथम अपील

अपीलकर्त्ता श्री सुभाष राय एवं अन्य, बजरंग बलि मंदिर के नजदिक, पो०- राहणी, राजासार, जि०-देवघर

बनाम

प्रतिवादी जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर।

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति

आदेश की तिथि	हस्ताक्षरयुक्त आदेश	कार्यालय अभ्युक्ति
10.02.2023	परिवादी श्री सुभाष राम एवं अन्य, बजरंग बलि मंदिर के नजदिक, पोस्ट–रोहणी, राजासार, जिला–देवघर का परिवाद पत्र दिनांक–06.02.2023 को आयोग द्वारा जारी किये गये व्हाटसएप्प पर प्राप्त हुआ। परिवादी द्वारा PDS वितरक इन्दु स्वयं सहायता समूह, पंचायत–राजासार, प्रखण्ड–घरवाडी, देवघर के विरूद्ध माह सितम्बर, 2022 में PMGKAY का राशन नहीं दिये जाने एवं लाभुकों से ई–पॉस मशीन में गड़बड़ी बताकर PDS वितरक द्वारा राशन की कालाबाजारी करने का आरोप लगाया गया है। यह भी कि उक्त मामले में पणन पदाधिकारी के कार्यालय में एवं जिला आपूर्ति कार्यालय में लिखित आवेदन देने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं की गई। उक्त से संबंधित परिवाद पत्र पूर्व में भी दिनांक–15.12.2022 को आयोग को प्राप्त हुआ था, जिसपर कार्रवाई हेतु इसे आयोग के पत्रांक–WA / 530 / 2022 दिनांक–19.12.2022 द्वारा जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को भेजी गयी थी। कृत कार्रवाई की सूचना अप्राप्त रही। अतः उक्त मामले को गंभीरता से लेते हुए प्राप्त परिवाद पत्र के आलोक में जिला आपूर्ति पदाधिकारी, देवघर को प्रतिवादी बनाते हुए उक्त मामले में सुनवाई करने का निर्णय लिया जाता है। इस हेतु सुनवाई की तिथि दिनांक–14.03.2023 को निर्धारित की जाती है। उक्त सुनवाई के दौरान वीडियो कान्फ्रेंसिंग के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने हेतु उभय पक्ष को नोटिस निर्गत करें। दिनांक–14.03.2023 को अपराह्न 12:00 बजे रखें। 10.2.23 **(शबनम परवीन)** सदस्य, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची। 13/02/2023 **(हिमांशु शेखर चौधरी)** अध्यक्ष, झारखण्ड राज्य खाद्य आयोग, राँची।	

C:\Users\PC-06\Dropbox\An...\आदेश....85